आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि "मौजा– घंघरी में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं0–22, प्लॉट सं0– 3/5 एवं 3/6 रकबा– क्रमशः 0.78ए0 एवं 0.32 ए0 कुल रकबा–1.10 ए0 पर श्री भगरीत सिंह पिता झरी सिंह के द्वारा जोत–कोड किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के बंदोबस्ती वाद सं0 50/1994–95 के अन्तर्गत दिनांक 26.03.1995 को मौजा– घंघरी, थाना सं0–344 के अंतर्गत उक्त खाता सं0–22, प्लॉट सं0– 3/5 एवं 3/6 रकबा– क्रमशः 0.78ए0 एवं 0.32 ए0 कुल रकबा–1.10 ए0 की बंदोबस्ती उक्त रैयत श्री भगरीत सिंह पिता झरी सिंह के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा–घंघरी के मांग पंजी II के पेज सं0 54/IV पर दर्ज होकर वर्ष 2006–07 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। उक्त अवैध जमाबंदी वाद सं0 163/2016–17 से बाहर किया जा सकता है।"

अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

14/4/2024
अंचल अधिकारी,
मनातू।

14/4/2024
अंचल अधिकारी,
मनातू।

सेवा में,

अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू।

विषय:- अवैध / संदेहास्पद जमाबंदी केश न० 163/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा- 3 / 14/4/2024 घंघरी में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जाँच किया। जाँच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं० 22 प्लॉट - 315, 316. कुल रकबा - 1.10 ए० पर श्री भागरीत सिंह पिता - झरी सिंह के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जाँच के दौरान बंदो० पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमंडल पदाधिकारी के बंदो० वाद सं० 50/94-95 के अन्तर्गत दिनांक - 26/03/1995 को मौजा घंघरी थाना न० 354, के अन्तर्गत उक्त खाता सं० 22, प्लॉट सं० 315, 316 रकबा - 1.10 ए० की बंदोबस्ती उक्त रैयत श्री भागरीत सिंह पिता - झरी सिंह के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा - घंघरी के भाग पंजी - II के पेज सं० 54/4 पर दर्ज होकर वर्ष - 2006-07 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद / अवैध प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद / अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।

विश्वासभाजन
अनिल कु० रजक
रा० उ० नि०
हलका - III

अं० अमीन [signature]
12/12/2024

[signature]
11/12/24
RSF + CI

Digitally signed by MADAN KUMAR SUMAN
Date: 2024.12.18 12:33:01 +05:30
Location: 192.168.190.97